न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 133/2022 दायर दिनाँक 22.04.2022

वादीगण

1. ईश्वरराम पुत्र सरजू
2. भंवरराम पुत्र सरजू समस्त जाति जाट, निवासी बाण्डोलाई की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार मौलासर।

दावा बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 **L.R. Act.**

उपस्थितः–

1. श्री हरफुल राव एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 30.09.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादीगण बाण्डोलाई की ढाणी के स्थायी निवासी है जो कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते है।

यह है कि वादीगण के पैतृक खातेदारी के खेत खसरा सं0 19 रकबा 1.0800 हैक्टे0 वाकै सरहद ढिगारिया, पटवार हल्का खोजास में अवस्थित है। जिनके पुराने खसरा सं0 9 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा है। जिसकी नकल खतौनी वाद के साथ संलग्न है।

यह है कि वादीगण का खेत खसरा सं0 19 (पुराने खसरा सं0 09) राजस्व नक्शे में त्रिभुजाकार था तथा वादीगण के खेत खसरा सं0 19 की दक्षिणी सींव पर रास्ता अवस्थित था तथा खसरा सं0 19 (पुराने खसरा सं0 9) के उत्तर की तरफ पुराने खसरा नम्बर 151/150 व 150/9 अवस्थित था। वादीगण का खेत खसरा 19 नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी से दर्शित किया गया है।

यह है कि अभी वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन करते वक्त वादीगण के खेत खसरा सं0 19 को राजस्व नक्शे में चतुर्थभुजाकर करते हुए पुराने खसरा नम्बर 151/150 (नये खसरा नम्बर 18/209) व 150/9 (नये खसरा सं0 18) पश्चि[illegible]

प्रार्थना वादी इस प्रकार हैः–

यह है कि वादीगण का [illegible] 09) को नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी स्थान पर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त करने की कृपा करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:39:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना की के पत्र क्रमांक रीडर/रेवेन्यु–2/2022/657 दिनांक 27.07.2022 की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग के कार्मिको ने भूलवश राजस्व नक्शा बना दिया था। अतः वादीगण की रिकॉर्ड दुरूस्ती करवाना जायज है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। जरिये राजीनामा वादी का वाद डिक्री किया गया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बाण्डोलाई की ढाणी में वादीगण का खेत खसरा सं0 19 (पुराने खसरा सं0 09) को नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी स्थान पर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, डिक्री पर्चा जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक 30.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:10:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 133/2022   दायर दिनाँक **22.04.2022**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. ईश्वरराम पुत्र सरजू 2. भंवराराम पुत्र सरजू समस्त जाति जाट, निवासी बाण्डोलाई की ढाणी, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार मौलासर।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 **L.R. Act.**

दिनाँक **30.09.2022**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हरफुल राव एडवोकेट वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, सरहद बाण्डोलाई की ढाणी में वादीगण का खेत खसरा सं0 19 (पुराने खसरा सं0 09) को नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए बी सी स्थान पर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो, डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **30.09.2022** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर, ब फरीक ... चाहे डिग्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.15 16:39:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner